उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक सुरक्षा अनुभाग
संख्या-01/2021/102(1)/83-21-42सीडी/12
लखनऊ: दिनांक 09 मार्च, 2021

प्रदेश के 09 जनपदों यथा-अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बांदा, बस्ती, फर्रूखाबाद, फिरोजाबाद, गोण्डा तथा मिर्जापुर में नागरिक सुरक्षा कोर स्थापित किये जाने सम्बन्धी अधिसूचना संख्या-102/83-21-42सीडी/12, दिनांक 09 मार्च, 2021 की प्रति (हिन्दी/अंग्रेजी) आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है:

1- महानिदेशक, नागरिक सुरक्षा निदेशालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, ईस्ट ब्लाक -VII, लेवल-7, आर0के0पुरम्, नई दिल्ली।
2- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- निदेशक, नागरिक सुरक्षा निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, अलीगढ़/अयोध्या/आजमगढ़/बांदा/बस्ती/गोण्डा/फर्रूखाबाद/फिरोजाबाद/मिर्जापुर।
5- जिलाधिकारी/नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा नगर (लखनऊ/कानपुर नगर/मथुरा/झांसी/आगरा/बरेली/मुरादाबाद/मेरठ/सहारनपुर/गाजियाबाद/वाराणसी/नरौरा(बुलन्दशहर)/गोरखपुर/प्रयागराज/पं0दीनदयाल उपाध्याय नगर(चन्दौली)/बागपत/मुजफ्फरनगर।
6- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,अलीगढ़/अयोध्या/आजमगढ़/बांदा/बस्ती/गोण्डा/फर्रूखाबाद/फिरोजाबाद/मिर्जापुर।
7- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इस अधिसूचना दिनांक 09 मार्च, 2021 को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-4 के खण्ड (ख) में प्रकाशित कर उसकी 200 प्रतियां नागरिक सुरक्षा अनुभाग, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुनील यादव
अनु सचिव।

http://Shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक सुरक्षा अनुभाग
संख्या-102/83-21-42सीडी/12
लखनऊः दिनांक 09 मार्च, 2021

अधिसूचना

नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 (अधिनियम संख्या. 27 सन् 1968) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, राज्य के जिलों यथा अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बांदा, बस्ती, फर्रूखाबाद, फिरोजाबाद, गोण्डा तथा मिर्जापुर के लिए व्यक्तियों के एक निकाय का गठन करती हैं जिसे सम्बंधित जिलों का नागरिक सुरक्षा कोर कहा जाएगा, और सम्बंधित जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों को उक्त कोरों का समादेशन करने के लिए नियंत्रक के रूप में नियुक्त करती हैं।

राज्यपाल अग्रतर पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 17 के खण्ड (क) के अधीन निदेश देती हैं कि पूर्वोक्त जिलों के जिला मजिस्ट्रेट, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) और नागरिक सुरक्षा नियमावली, 1968 के नियम 19 के उपनियम (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किये जायेंगे।

राजन शुक्ला
अपर मुख्य सचिव

http://Shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Uttar Pradesh Shasan
Nagrik Suraksha Anubhag

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 102/83-21-42CD/12 dated 09 March, 2021.

Notification

No.102/83-21-42CD/12
Lucknow : Dated 09 March, 2021

In exercise of the powers under sub-section (1) of section 4 of the Civil Defence Act, 1968 (Act No. 27 of 1968), the Governor is pleased to constitute for the districts of the State viz- Aligarh, Ayodhya, Azamgarh, Banda, Basti, Farrukhabad, Firozabad, Gonda and Mirzapur a body of persons to be called Civil Defence Corps, of the respective districts and to appoint the District Magistrate of the respective districts as the Controller to command the said Corps.

The Governor is further pleased to direct under clause (a) of section 17 of the aforesaid Act that the District Magistrate of the aforesaid districts shall be authorised to exercise the powers under sub-section (1) of section 4 of the aforesaid Act and sub-rule (1) of rule 19 of the Civil Defence Rules, 1968.

Rajan Shukla
Additional Chief Secretary

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।